न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 17/2003

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
ग्राम पंचायत डूडसी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत डूडसी		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर 2.जबरसिंह पुत्र जुहारसिंह, जाति राजपूत,निवासी डूडसी

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 16.12.2002
(बविविध वाद सं /2002)

उपस्थिति :–
1.श्री गोविन्दकुमार ,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री मधुसूदन व्यास,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 12.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डूडसी में नाहरसिंह,भूरसिंह,केशरसिंह पिसरान् सरदारसिंह, राजपूत के नाम की खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 303 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 302 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी, जिसमें खसरा नम्बर 303 में लगभग 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 302 में 8 बिस्वाभूमि पर लगभग 40 साल से लोगों के रहवासीय मकान बने हुए हैं,आबादी बसी हुई है, इस कारण 3 बीघा भूमि का इस्तीफा तत्कालीन खातेदार ने उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु दिया था जो इस्तीफा नाहरसिंह वगैराह ने अपने रिश्तेदार नैनसिंह पुत्र मानसिंह को रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा तारीख 10.1.1980 को देकर इस्तीफा देने के लिए मुकर्रर किया था, जिन्होनें उक्त भूमि पर बसे हुए लोगों के हक में आबादी में दर्ज करने हेतु तारीख 19.12.80 को इस्तीफा दिया था ,इस्तीफा देने से म्युटेशन सं.333 द्वारा उक्त भूमि चाही तृतीय खातेदारी भूमि थी ,वह राज्य सरकार के खाते में दर्ज की एवं खसरा नम्बर 302/1रकबा 8 बिस्वा ,303/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही तृतीय दर्ज हुई तथा इस भूमि पर लगभग 15लोगों के रहवासी मकान होने से तहसीलदार जालोर ने खसरा नम्बर303/2में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि उनके हक में नियमन कर पट्टे जारी किये मगर उस

समय बगदा पुत्र मोती--कुम्हार, जुहारा पुत्र गेना–राजपूत जिनके मकान बने हुए थे तथा परिवार सहित रह रहे थे वे तहसील में हाजिर नही हो सके जिससे उनके मकानों का नियमन नही हो सका,जिस पर खसरा नम्बर 302/2 की शेष बची 8 बिस्वा भूमि को जिलाधीश ने आदेश दिनांक 7.6.90 द्वारा आबादी में तब्दील कर रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया मगर सन् 1990 में ग्राम डूडसी में नवीन सैटलमेन्ट कार्य शुरू था जिससे उक्त भूमि रेकर्ड में राजस्व व सैटलमन्ट कर्मचारियों की गलती से आबादी में दर्ज नहीं हो सकी जबकि उक्त भूमि पर बगदा व जवाना 40 साल से मकान बनाकर रह रहे थे तथा उन्हीं के कारण आबादी में तब्दील की थी,उक्त बाद का ज्ञान होने पर उक्त भूमि को जिलाधीश जालोर के आदेश तारीख 7.6.90 की पालना में रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसे नायब तहसीलदार जालोर ने जिलाधीश के आदेश की पालना नही करते हुए अपने आदेश दिनांक 16.12.2002 द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर दिया। नवीन खसरा नम्बर 640 व 646 पुराने खसरा नम्बर 303/2 व 302/1 से ही बने है जो आबादी में तब्दील किये हुए है, जिन्हें आबादी में दर्ज किया जाना जरूरी था,अदालत मातहत को केवल जिलाधीश जालोर के आदेश की पालना में ही नामान्तरकरण स्वीकृत करना था मगर नामान्तरकरण सं. 92 खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर मौजा डूडसी के नामान्तरकण सं. 92 स्वीकृत व निर्णय दिनांक 16.12.02को निरस्त किया जावे ,अपीलांट वकील ने फहरिस्त में नामान्तरकरण सं.92 व निर्णय दिनांक 16.12.2002 की प्रति आदि नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट वकील द्वारा दिनांक 11.3.03 को जिलाधीश जालोर से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट कमांक/पी.ए./जांच/01/1288दिनांक 14.12.01 मंगवाई जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया। बाद सुनवाई दिनांक 11.3.2003को उक्त अपीलांट का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया।

3. बाबूसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी डूडसी का प्रार्थनापत्र नियम 10 सी.पी.सी.आदेश 1नियम 8–ए सी.पी.सी. बाबत् पक्षकार बनाने हेतु उनके वकील श्री मधुसूदन व्यास द्वारा दिनांक 11.3.03 को पेश किया जो बाद सुनवाई के दिनांक 21.7.2003 को खारिज किया गया।

4. जबरसिंह पुत्र जुहारसिंह जाति राजपूत निवासी डूडसी का प्रार्थनापत्र नियम 10 सी.पी.सी.आदेश 1नियम 8–ए सी.पी.सी. बाबत् पक्षकार बनाने हेतु उनके वकील श्री मधुसूदन व्यास द्वारा दिनांक 21.7.03 को पेश किया जो बाद सुनवाई के दिनांक 21.4.2004 को रेस्पोडेन्ट सं.2 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

5. अपीलांट ने इस अपील में आदेशिका दिनांक 21.4.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी सं. जालोर/निग./एल.आर. एक्ट/संख्या 29/2004 ,ग्राम पंचायत डूडसी बनाम राज.सरकार वगैराह, पेश की जो दिनांक 7.2.2017 को खारिज की गई है।

6. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के वकील ने बहस में बताया कि मौजा डूडसी में नाहरसिंह,भूरसिंह,केशरसिंह पिसरान् सरदारसिंह, राजपूत के नाम की खातेदारी भूमि पुराना खसरा नम्बर 303 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 302 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी, जिसमें खसरा नम्बर 303 में लगभग 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 302 में 8 बिस्वाभूमि पर लगभग 40 साल से लोगों के रहवासीय मकान बने हुए हैं,आबादी बसी हुई है, इस कारण 3 बीघा भूमि का इस्तीफा तत्कालीन खातेदार नाहरसिंह वगैराह ने अपने रिश्तेदार नैनसिंह पुत्र मानसिंह को रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा तारीख 10.1.1980 को देकर इस्तीफा देने के लिए मुकर्रर किया था, जिन्होनें उक्त भूमि पर बसे हुए लोगों के हक में आबादी में दर्ज करने हेतु तारीख 19.12.80 को इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने से म्युटेशन सं.333 द्वारा उक्त भूमि चाही तृतीय खातेदारी भूमि थी ,वह राज्य सरकार के खाते में दर्ज की एवं खसरा नम्बर 302/1रकबा 8 बिस्वा ,303/2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही तृतीय दर्ज हुई, कुछ लोगों के मकानों का नियमन नही हो सका,जिस पर खसरा नम्बर 302/2 की शेष बची 8 बिस्वा भूमि को जिलाधीश ने आदेश दिनांक 7.6.90 द्वारा आबादी में तब्दील कर रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया मगर सन् 1990 में ग्राम डूडसी में नवीन सैटलमेन्ट कार्य शुरू था जिससे उक्त भूमि रेकर्ड में राजस्व व सैटलमन्ट कर्मचारियों की गलती से आबादी में दर्ज नहीं हो सकी, कुछ लोगों के मकानों का नियमन नही होने से खसरा नम्बर 302/2 की शेष बची 8 बिस्वा भूमि को जिलाधीश ने आदेश दिनांक 7.6.90 द्वारा आबादी में तब्दील कर रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया मगर सन् 1990 में ग्राम डूडसी में नवीन सैटलमेन्ट कार्य शुरू था जिससे उक्त भूमि रेकर्ड में राजस्व व सैटलमन्ट कर्मचारियों की गलती से आबादी में दर्ज नहीं हो सकी, जिलाधीश जालोर के आदेश तारीख 7.6.90 की पालना में रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसे नायब तहसीलदार जालोर ने जिलाधीश के आदेश की पालना नहीं करते हुए अपने आदेश दिनांक 16.12.2002 द्वारा नामान्तरकरण 92 को निरस्त(अस्वीकृत) कर दिया।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 16.12.2002 को निरस्त व नामान्तरकरण सं.92 को स्वीकृत करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.2 के वकील ने बहस में बताया कि इस्तीफा रेकर्ड पर नहीं है,सैटलमेन्ट में उक्त भूमि सरकारी भूमि दर्ज है। सैटलमेन्ट कर्मचारियों को रैकर्ड में जैसी भूमि स्थित होती है उसको वैसी ही दर्ज करनी होती है, अगर सैटलमेन्ट में कोई गलती भी की है तो उसकी अपील सैटलमेन्ट कमिश्नर या डायरेक्टर को होगी, इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर

कब्जा ग्राम पंचायत का नही है,बिना कब्जे के म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत डूडसी के सरपंच को अपील पेश करने का अधिकार नही है, ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव रेकर्ड में नहीं है,बिना प्रस्ताव के ग्राम पंचायत या सरपंच अपील पेश नही कर सकता है। वास्तविकता यह हैं कि भंवरलाल सरपंच,उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा बाद कब्जा भूमि को बैचान करना चाहता है, जबरसिंह का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा है तथा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है, जबरसिंह के कब्जे वाली भूमि धारा 145 सी. आर.पी.सी. में कुर्क की है, इस भूमि को अपीलांट भंवरलाल ने खरीद करना बताया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

7. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर द्वारा अपने आदेश कमांकः एफ.22(3)(94)राज/90/3337 दिनांक 7.6.90 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सबंधित ग्राम पंचायत की मांग अनुसार आबादी विस्तार हेतु अन्य ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत डूडसी के खसरा नम्बर 299 में से 5 बीघा गैर मुमकिन गोचर तथा खसरा नम्बर 302/1 रकबा 3 बिस्वा,किस्म चाही तृतीय तथा 303/2 रकबा 8 बिस्वा,किस्म चाही तृतीय के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (Set apart) की गई,उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत डूडसी के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा0.06 हेक्टर तथा 646 रकबा 0.02 हेक्टर , कुल 0.08 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन आबादी का म्युटेशन सं.92 ग्राम डूडसी का भरा गया।

नायब तहसीलदार जालोर द्वारा अपने आदेश दिनांक16.12.2002 द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 640रकबा 0.06 हेक्टर,व 646 रकबा 0.02 हेक्टर भूमि पर ग्राम पंचायत डूडसी का भौतिक रूप से कब्जा नही होने के कारण नामान्तरकरण सं. 92 खारिज किया गया।

धारा 92राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार " राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन जिलाधीश किसी विशेष प्रयोजन के लिये जैसे पशुओं के निःशुल्क चरागाह के लिए वन आरक्षण हेतु (Forest Reserve)आबादी विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक या स्थानीय निकाय कार्य के लिए भूमि अलग से रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजन के अतिरिक्त बिना जिलाधीश से पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जावेगी।"

राजस्व (ग्रुप–6)विभाग, जयपुर के परिपत्र कमांकः प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 7.9.17 के अनुसार " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की शक्तियों काप्रयोग करते हुए भूमि को आबादी विकास के लिए जिला कलेक्टर सेट अपार्ट कर सकता है। अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों की भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत् आबादी के विकास हेतु सेटअपार्ट किया जा सकता है अथवा नही, बाबत् विधि विभाग से राय प्राप्त की गई।

विधि विभाग द्वारा इस सबंध में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अनुसार आबादी के विकास हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी सरकारी भूमि को भी सेटअपार्ट किया जा सकता है जिस पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से आवास बना रखा है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं कि ऐसी सेटअपार्ट भूमि में से विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति के पक्ष में स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया गया हो।

विधि विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त राय के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया हैं कि आबादी के विकास हेतु अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत् सेट अपार्ट की जानी भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जाये तथा ग्राम पंचायत अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे जारी किया जा सकते है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांकःप. 9(6)राज–6/2000/10दिनांक 7.9.17 अनुसार " उक्त क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि निम्न श्रेणी की भूमि को छोडते हुए ही धारा 92 के अनुसार आबादी के विकास हेतु भूमि सेट अपार्ट की जायेः–

1.राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि।
2.किसी तालाब, नदी, नाला,नाडी के जलप्रवाह क्षैत्र में स्थित भूमि ओरण व चरागाह भूमि।
3.विशिष्ठ नियमों के अन्तर्गत आरक्षित भूमि।
4.राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत अरबनाईजेबल लिमिट या पैराफेरी बैल्ट के अन्तर्गत स्थित भूमि।
5.इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से निर्धारित मापदण्डों में स्थित राजकीय भूमि ।
6.डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अधीन स्थित भूमि।
7.वन विभाग के अधीन स्थित भूमि।
8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षैत्र की भूमि।

उक्त भूमि जिला कलेक्टर के द्वारा वक्त सेटअपार्ट सिवायचक थी तथा सेटअपार्ट की गयी भूमि के वर्तमान में खसरा नम्बर 640 तथा 646रकबा क्रमशः 0.06हेक्टर व 0.02हेक्टर सिवायचक हैं।अतःअपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

ग्राम पंचायत डूडसी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 16.12.2002 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि कि राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः प.9(6)राज–6/ 2000/10 दिनांक 7.9. 17में वर्णित निर्देश तथा विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 12.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: